बगास से बने बर्तन हैं न...

आज से प्लास्टिक व थर्माकोल निर्मित कप, प्लेट पर प्रतिबंध

रुना सिन्हा ● लखनऊ

थर्माकोल व प्लास्टिक के गिलासों में अब न तो चाय की चुस्कियां ली जा सकेंगी और न ही चाट-पकौड़े खाए जा सकेंगे। प्रदेश में इस बार का स्वतंत्रता दिवस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि सरकार ने पर्यावरण को थर्माकोल व प्लास्टिक के गिलास सहित हर तरह के बर्तनों से भी 'आजादी' दिलाने का संकल्प किया है। बताते चलें कि 50 माइक्रॉन के कम मोटाई के पॉलीथिन कैरी बैग्स को पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। ऐसे में थर्माकोल व प्लास्टिक के बर्तनों को प्रतिबंधित करना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

थर्माकोल से जहां उ.प्र.प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन अपने को ठगा महसूस कर रही है। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं राहत महसूस कर रही हैं। दरअसल आसानी से न नष्ट होने वाले थर्माकोल व प्लास्टिक के गिलास, प्लेटें व बाउल नाले-नालियों में पहुंच कर ड्रेनेज के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। यहां तक कि समुद्र भी इस कूड़े से पट रहा है। ऐसे में निश्चित ही पर्यावरण के समक्ष बड़ी चुनौती साबित हो रहे इस कचरे से प्रतिबंध के जरिए कुछ राहत मिलेगी।

पसंद आ रहा है विकल्प

डंडइया मार्केट में डिस्पोजिबिल बर्तनों की दुकान चलाने वाले राकेश बताते हैं कि थर्माकोल व प्लास्टिक के गिलास सहित प्लेटें व कटोरियों की जबर्दस्त मांग है। वह बताते हैं कि इन दिनों बगास (गन्ने का रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ) से तैयार होने वाले बर्तन जो देखने में काफी कुछ लकड़ी जैसे लगते है प्रचलित हो रहे हैं। मील ट्रे, चम्मचें, बाउल, प्लेटें व कंटेनर्स की मांग बढ़ी है। चक नाम से फैजाबाद में ऐसे बर्तन बनाने वाली देश की अकेली इकाई के संस्थापक वेद कृष्णा बताते हैं कि यह बर्तन पूरी तरह से इकोफ्रेंडली है। इन्हें बगास (90 प्रतिशत) में लकड़ी के अवशेष (10 प्रतिशत) को मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे बर्तन जहां सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं वहीं आसानी से अपघटित (डीकम्पोज) भी हो जाते हैं। बीते वर्ष शुरू की गई इस इकाई में हर दिन साढ़े 11 मीट्रिक टन पल्प से साढ़े छह लाख बर्तन तैयार किए जाते हैं।

लकड़ी जैसे लगते हैं बगास से बने ये बर्तन, इकोफ्रेंडली भी हैं

नए मानक बनाए सरकार

उधर उ.प्र.प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन के रवि जैन कहते हैं कि करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई करीब 125 इकाइयां जो थर्मोकोल व प्लास्टिक के बर्तन बनाती हैं बर्बाद हो जाएंगी। इनमें काम करने वाले मजदूर भी सड़क पर आ जाएंगे। एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार ने जिस तरह से पॉलीथिन के मानक तैयार किए हैं उसी तरह से इसके भी नए मानक तैयार कर दें। उनका कहना है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए बैंकों से करोड़ों का कर्ज लिया गया है। चूंकि निर्माण व स्टोरेज पर भी प्रतिबंध लगाया गया है इसलिए अन्य राज्यों में भी माल नहीं बेचा जा सकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर पलायन होना निश्चित है।